

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सफदरजंग अस्पताल में “लिनन मिस्ट्रेस / मास्टर” के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर
सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी.
14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, सफदरजंग अस्पताल में “लिनन मिस्ट्रेस /
मास्टर” पद के लिए भर्ती नियम संलग्न हैं।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्तिधारक, यदि वे चाहें तो, टिप्पणियाँ अथवा सुझाव,
भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी
(एम.एच.-II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई
दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ई मेल--
हैं। सकते

(गणेश कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष-011 23063481

(GANESH KUMAR)

अवर सचिव / Under Secretary

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

Ministry of Health & Family Welfare

भौतिक भवन / Bldv. of India

No. 1, New Delhi / नई दिल्ली

नई दिल्ली
दिनांक :

2461009/2021/HOSPITAL-I

[भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख

2021

अधिसूचना

सा.का.नि.-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और "सफदरजंग अस्पताल (वर्ग III पद) भर्ती नियम, 1973" को, जहाँ तक उनका संबंध लिनन मिस्ट्रेस/मास्टर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में लिनन मिस्ट्रेस/मास्टर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, लिनन मिस्ट्रेस/मास्टर (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ(4) में विनिर्दिष्ट है।
3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरहता: वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

2461009/2021/HOSPITAL-I

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अन्वयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा			
					(1)	(2)	(3)	(4)
लिनन मिस्ट्रेस/ मास्टर	6* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचितीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये)	अन्वयन	(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों और अनुदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णयिक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले का पांगी उपखंड और लद्दाख, अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्ष्मीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।			
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं					सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधीभर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	(6) 18 से 27 वर्ष के बीच।
(7) आवश्यक:					आयु- नहीं शैक्षणिक अर्हताएँ- हाँ	दो वर्ष।	पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	(10)
1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से (कम से कम एक वर्ष की अवधि की) हाउसकीपिंग में डिप्लोमा। 3. किसी अस्पताल में या न्यूनतम 100 बिस्तरों वाले अस्पतालों में लिनन संबंधी कार्य करने वाले किसी अन्य संगठन में लिनन रख-रखाव करने का एक वर्ष का अनुभव।					टिप्पण-1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण-2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	(8)	(9)	(10)

2461009/2021/HOSPITAL-I

प्रोन्ति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्ति
या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

यदि विभागीय प्रोन्ति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(11)

(12)

(13)

प्रोन्ति:

ऐसे परिचर्या परिचारक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900/- रुपए) में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और आवश्यक अहर्ताएँ रखते हों।

प्रतिनियुक्ति:

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य ध्येत्र के ऐसे अधिकारी:-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100/- रुपये) के अधिकारी जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर दस वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जो सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएँ रखते हों।

टिप्पण-1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्ति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्ति समिति (प्रोन्ति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:

1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल - अध्यक्ष;
2. संबंधित विभागाध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य;
3. उपनिदेशक प्रशासन चिकित्सा अस्पताल अनुभाग के प्रभारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य;
4. उप निदेशक (प्रशासन), सफदरजंग अस्पताल - सदस्य।

समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:

1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल- अध्यक्ष;
2. संबंधित विभागाध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल- सदस्य;
3. उपनिदेशक प्रशासन चिकित्सा अस्पताल अनुभाग के प्रभारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य;
4. उप निदेशक (प्रशासन), सफदरजंग अस्पताल - सदस्य।

[ए.11018/08/2021-एमएच-II]

(गणेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार